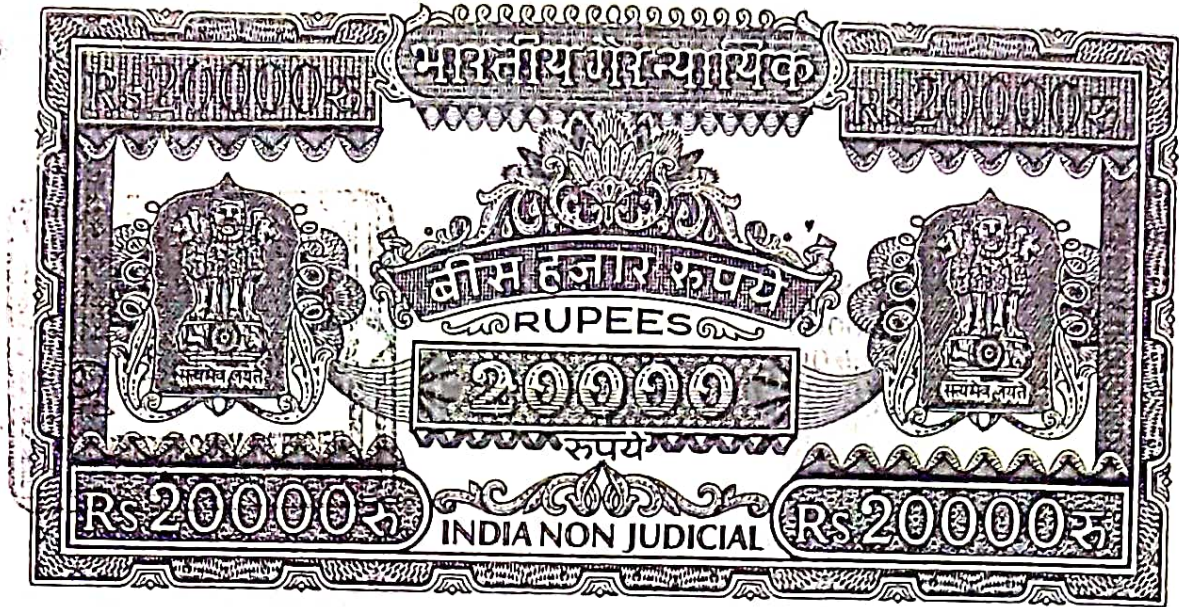




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

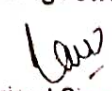
502162

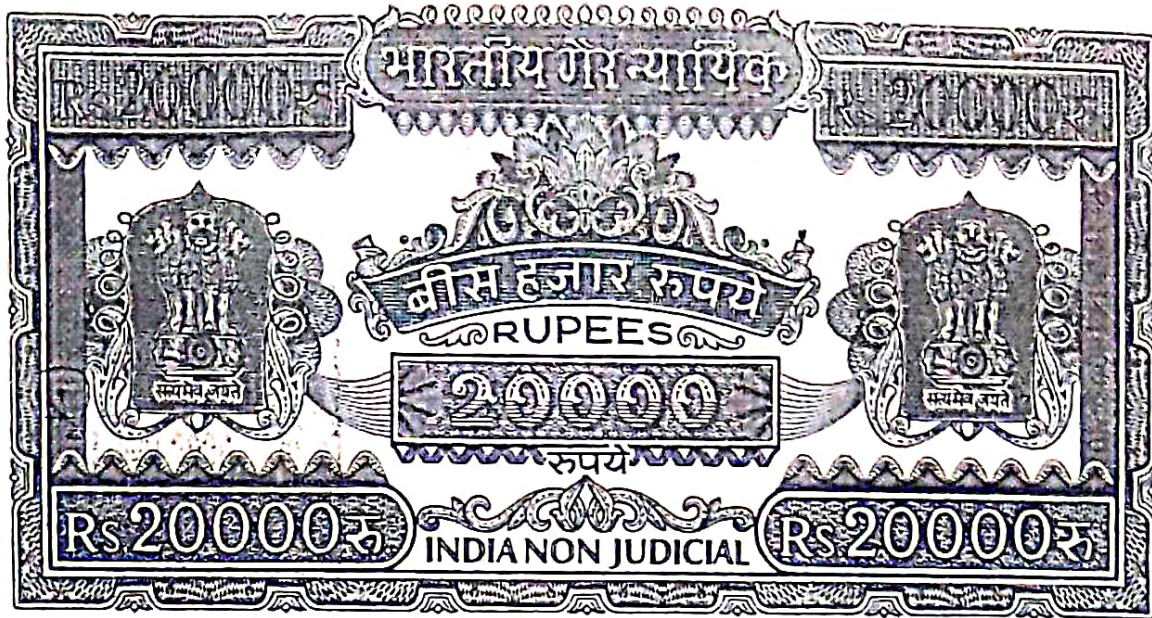
(1)

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य) :- कृषि
2. वार्ड परगना 16/02/0183 परगना लौनी
3. मौहल्ला/ग्राम ग्राम नूरनगर
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं.) कृषि भूमि, खसरा नं-359,
5. मापन की इकाई (हेक्टेयर/वर्ग मीटर) :- 0.07566 हेक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल :- 0.07566 हेक्टेयर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) :- 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित
8. अन्य विवरण (9 मीटर/कार्नर इत्यादि) नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि
प्लॉट/प्लेट/मकान/दुकान/कृषि
10. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमजिला भवन की स्थिति में) :- नहीं
11. कुल आच्छादित क्षेत्रफल :- नहीं
12. स्थिति-फिनिशड/सेमीफिनिशड/अन्य :- नहीं
13. पेडो का मूल्यांकन :- नहीं
14. बोरिंग/कुँआ/अन्य :- नहीं
15. निर्मित क्षेत्रफल :- नहीं
16. निर्माण का वर्ष :- नहीं
17. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है - हाँ/नहीं :- नहीं

For S. V. Megastructures Ltd.


 Authorised Signatory/Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

502161

(2)

18. प्रतिफल की धनराशि—15,35,100 /—रुपये में
चौहददी
साईड प्लाल के अनुसार

प्रथम पक्ष की संख्या (1)
विक्रेता का विवरण

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)
क्रेता का विवरण

1. नाम :—मैसर्स मैरीगोल्ड एस्टेट्स
मुख्य कार्यालय 47/16, कबीर मार्ग,
लखनऊ शाखा कार्यालय ऑफिस नम्बर-4,
प्रथम तल, 96, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद
द्वारा श्री राकेश मोहन गर्ग पुत्र स्व. श्री
बाल किशन दास निवासी 96, नवयुग
मार्केट, गाजियाबाद

अस्थाई पता :—उक्त

व्यवसाय :—.....

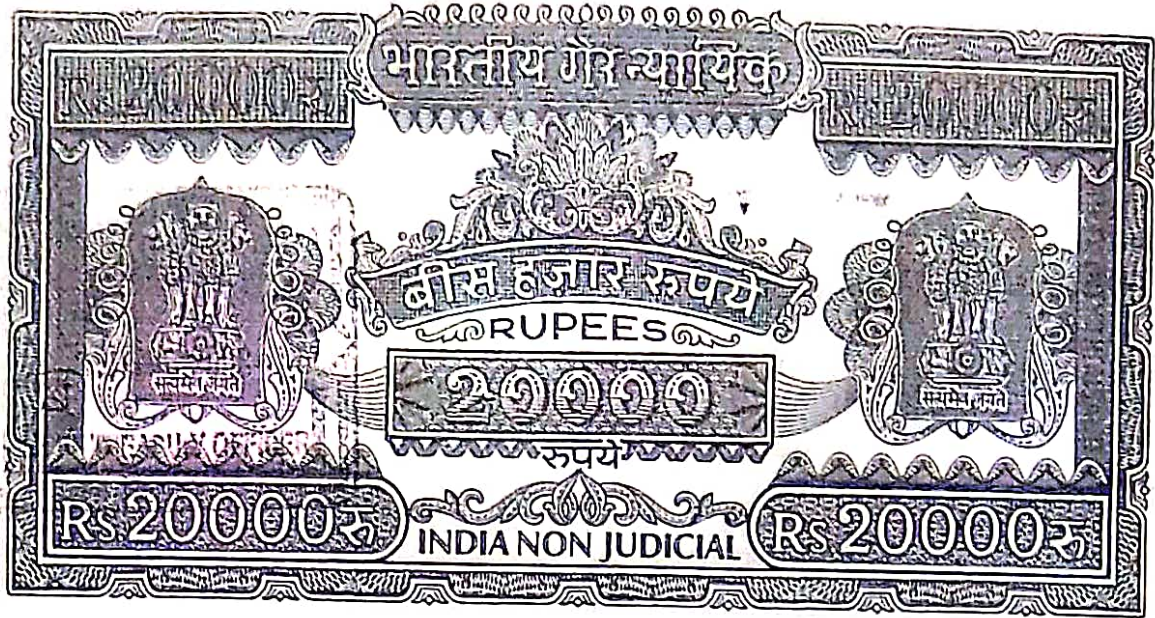
1. नाम :—मैसर्स एस. वी. मेगा
स्ट्रक्चरस लि., सूर्यकिरण बिल्डिंग,
प्लॉट नम्बर-5 क्यू, शारदा नगर,
कानपुर, पैन नम्बर-ए.ए.जी.सी.एस.
-8914 ई. द्वारा डायरेक्टर श्री रवि
मित्तल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार मित्तल
निवासी उक्त कम्पनी

अस्थाई पता—उक्त

व्यवसाय :—.....

For S. V. Megastructures Ltd.

Authorised Signatory/Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

502160

(3)

विक्रय पत्र अंकन-15,35,100/-रुपये का।

स्टाम्प अंकन-1,54,000/-रुपये का।

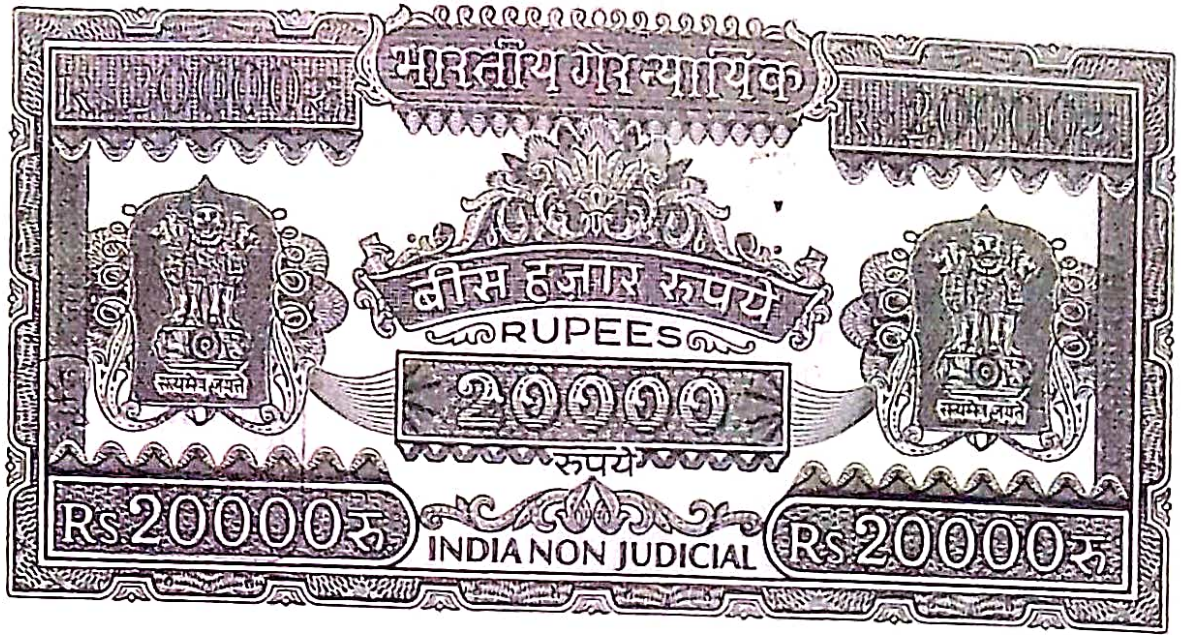
विक्रय कृषि भूमि का विवरण

कृषि भूमि रकबड़ 0.07566 हेक्टेयर खाता नम्बर-326 खसरा नम्बर-359
स्थित ग्राम नूरनगर परगना लौनी तहसील व जिला गाजियाबाद। उक्त भूमि
ग्राम समाज, वक्फ व पट्टे की नहीं है। सरकारी दर-50,00,000/-रुपये

For S. V. Megastructures Ltd.

Law
Authorised Signatory/Director

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

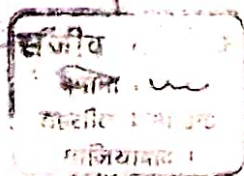
502159

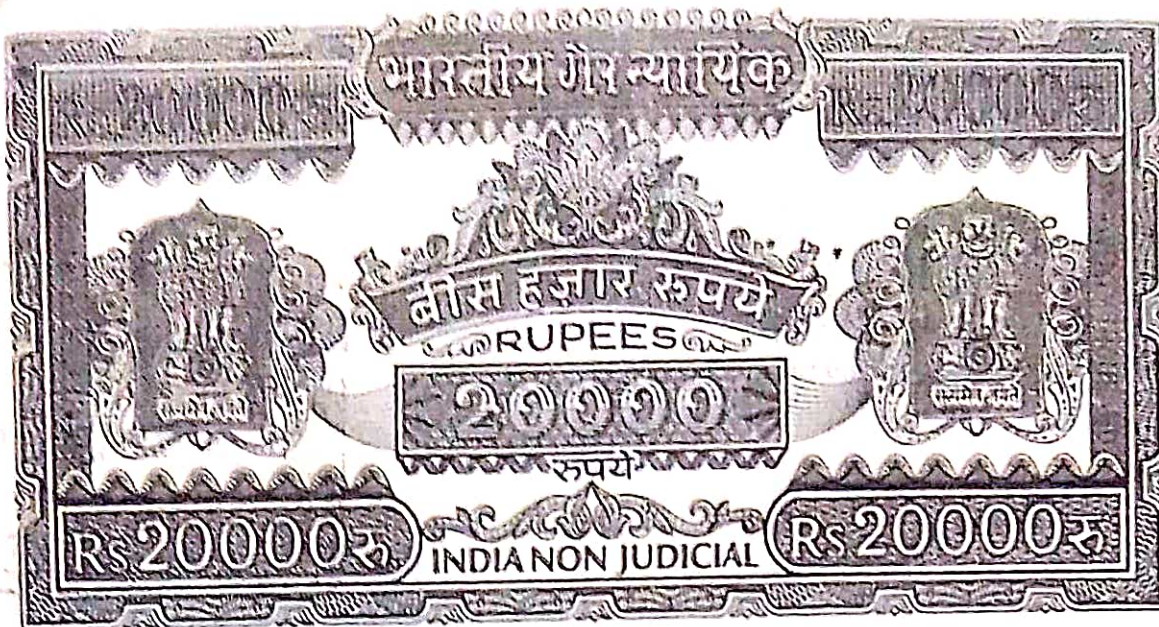
(4)

प्रांते एकड़ है। पूर्व में कोई इकरारनामा महायदाबय पंजीकृत नहीं हुआ है।
उक्त भूमि की 200 मीटर की त्रिज्या में कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि किसी
मुख्य मार्ग पर स्थित नहीं है, मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से लगभग 500 मीटर
से अधिक दूरी पर स्थित है।

For S. V. Megastructures Ltd.

Law
Authorised Signatory/Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

502158

(5)

हम कि मैसर्स मैरोगोल्ड एस्टेट्स मुख्य कार्यालय 47/16, कबीर मार्ग,
लखनऊ शाखा कार्यालय ऑफिस नम्बर-4, प्रथम तल, 96, नवयुग मार्केट,
गाजियाबाद द्वारा श्री राकेश मोहन गग पुत्र स्व. श्री बाल किशन दास
निवासी 96, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद प्रथम
पक्ष विक्रेता कम्पनी।

[Handwritten signature]

For S. V. Megastructures Ltd.

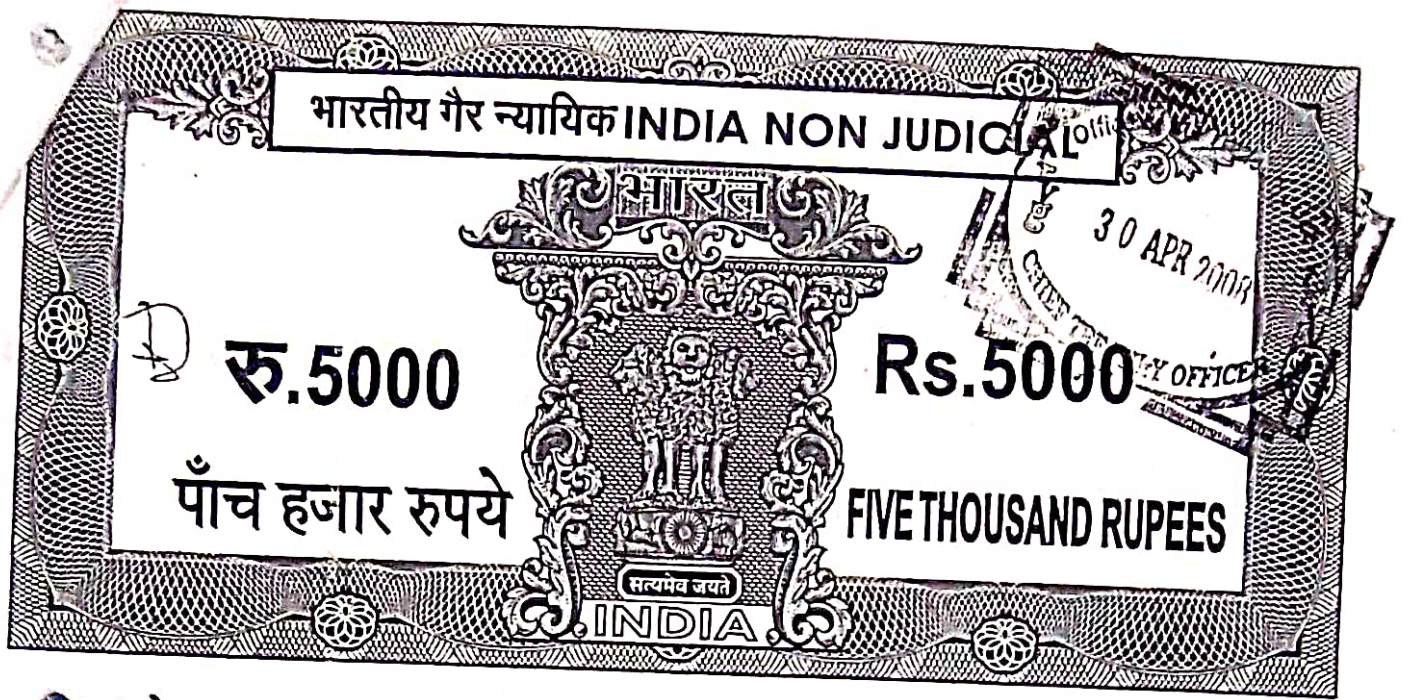
[Handwritten signature]
Authorised Signatory/Director



For S. V. Megastructures Ltd.



[Handwritten signature]
Authorised Signatory/Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

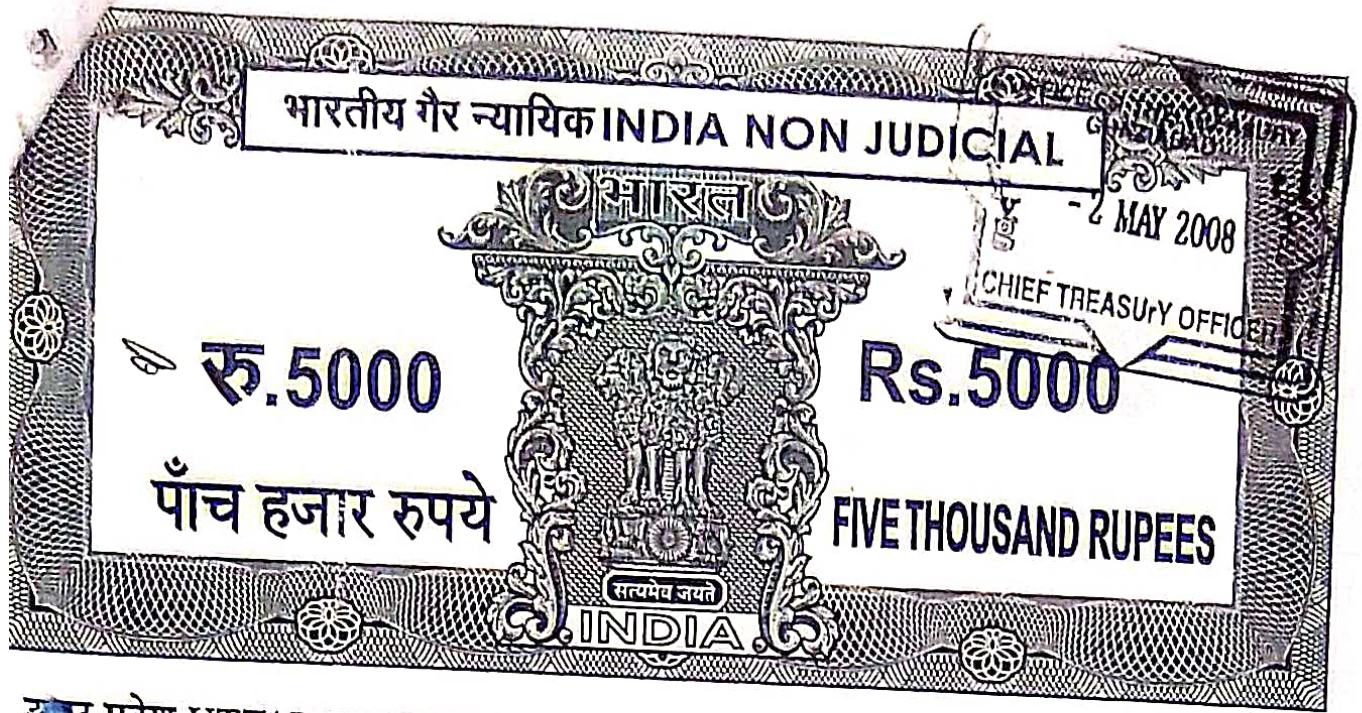
(6)

E 427456

इस विक्रय पत्र में विक्रेता कम्पनी के समस्त उत्तराधिकारी गण न्यायिक एवं
वैधानिक प्रतिनिधिगण व भी सम्मिलित समझे जावेगे।
एवं मेसर्स एस. वी. मेगा स्ट्रक्चरस लि., सूर्याकिरेन बिल्डिंग, प्लॉट नम्बर-5
क्यू, शारदा नगर, कानपुर, पिन नम्बर-ए.ए.जो.सी.एस.-8914 इ. द्वारा डायरेक्टर
श्री रावे मित्तल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार मित्तल निवासी उक्त कम्पनी द्वितीय
पक्ष क्रेता कम्पनी।

For S. V. Megastructures Ltd.

Authorised Signatory/Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

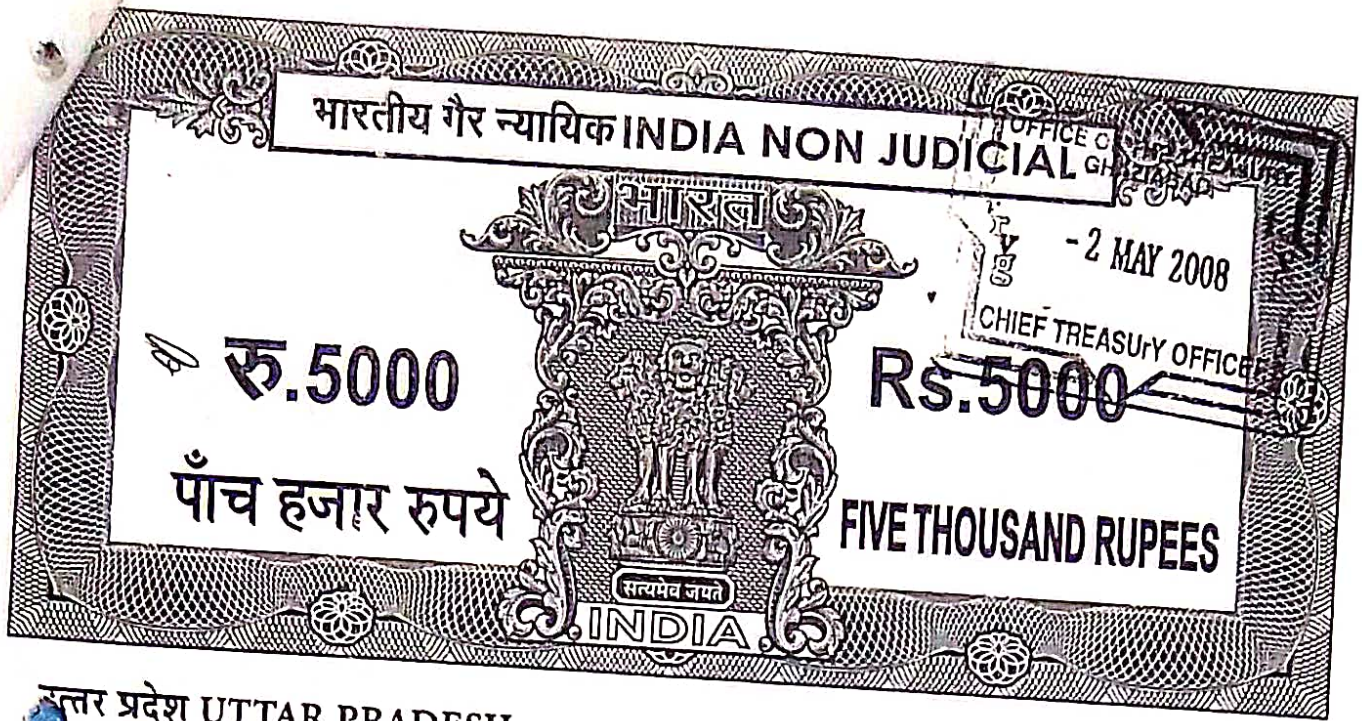
E 430727

(7)

विंदित हों कि ग्राम नूरनगर परगना लौनी तहसील व जिला गाजियाबाद में खाता नम्बर-326 खसरा नम्बर-359 कुल रकबड़ 0.1010 हेक्टेयर भूमि में प्रथम पक्ष विक्रेता कम्पनी रकबड़ 0.07566 हेक्टेयर भूमि की संक्रमणीय भूमिधर मालिक व कावेज हैं। उक्त भूमि को प्रथम पक्ष विक्रेता कम्पनी ने

For S. V. Megastructures Ltd.

Authorised Signatory/Direct



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

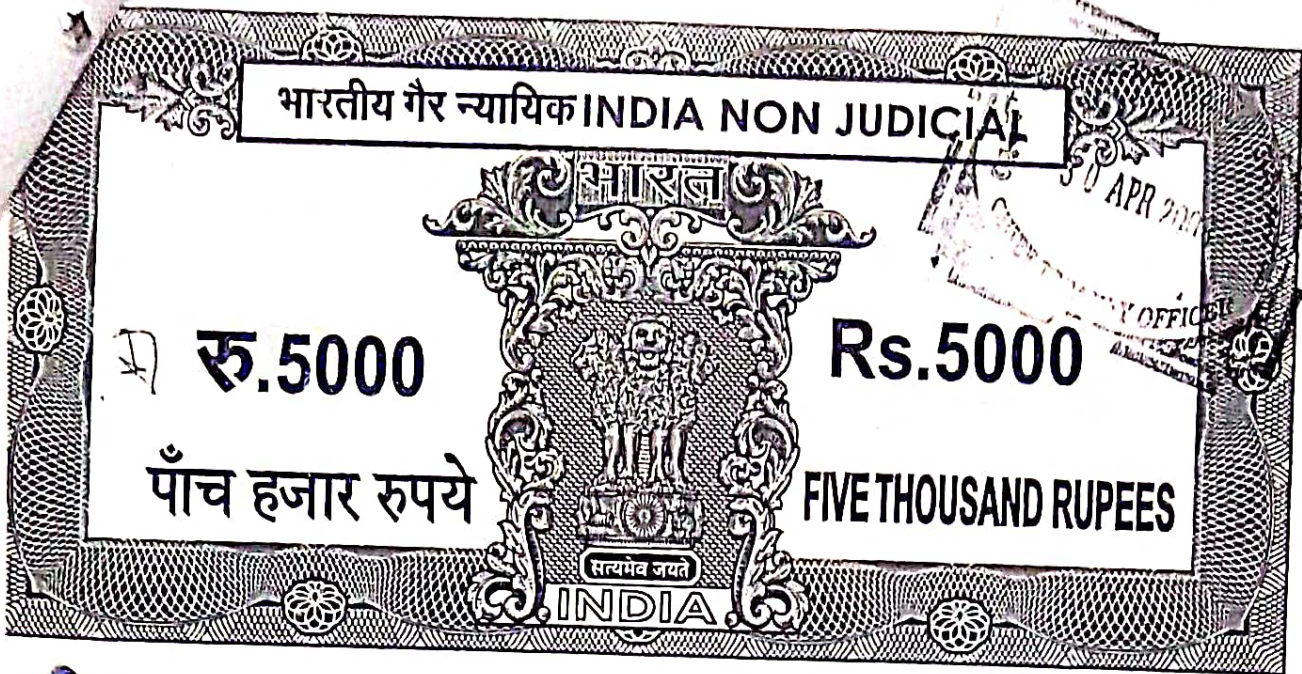
E 430728

(8)

बजरिये दो किता विक्रय पत्र के द्वारा खरीद किया है। रकवाई 0.03366
हेक्टेयर भूमि को प्रथम पक्ष विक्रेता कम्पनी ने श्री राजेश्वर सिंह पुत्र स्व. श्री
देशराज सिंह निवासी ग्राम नूरनगर परगना लौनी तहसील व जिला गाजियाबाद
से खरीद किया है जिसकी पंजीकृत तहसील दिनांक-03.09.2007 ई. का वहां
नम्बर-1 जिल्द 2883 के पृष्ठ 147/158 में नम्बर-6717 पर दिनांक-

For S. V. Megastructures Ltd.

Authorised Signatory/Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

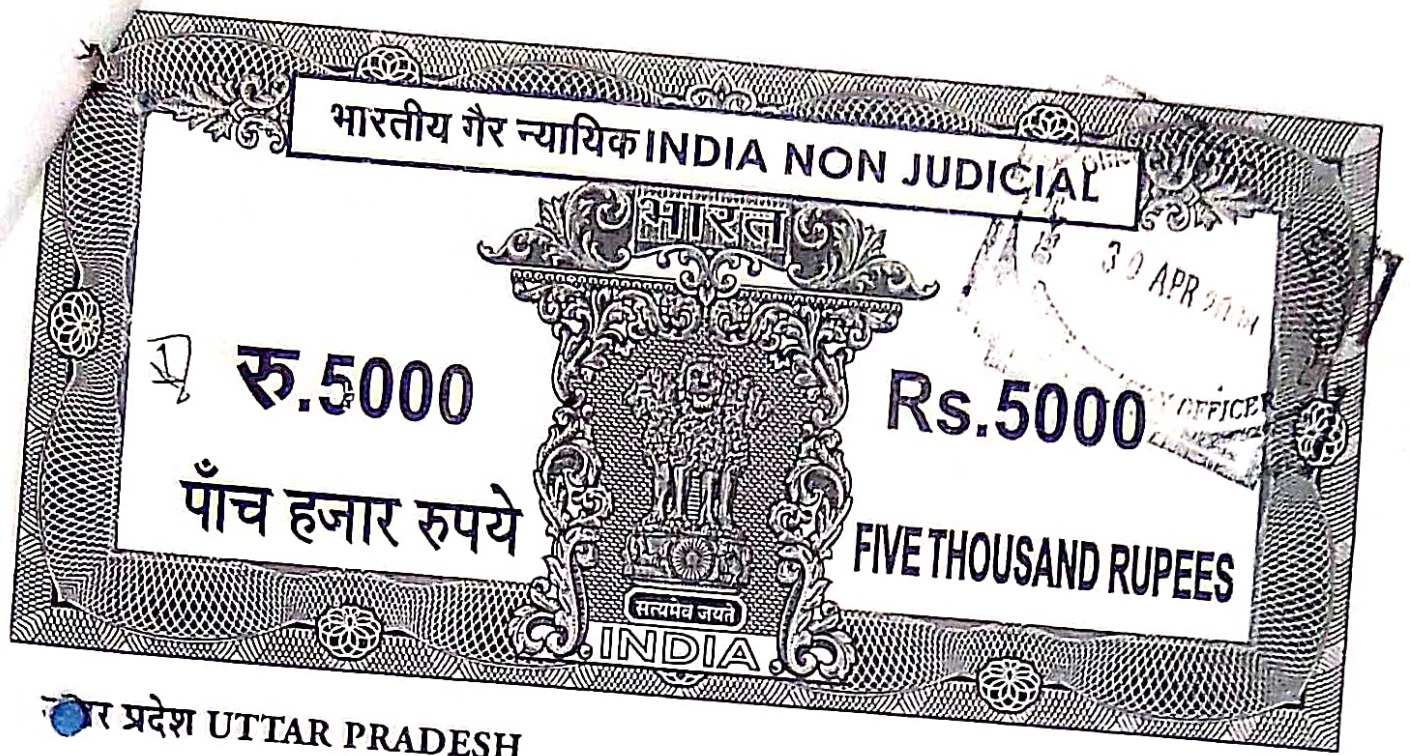
E 427543

(9)

03.09.2007 ई. को कार्यालय सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद में दर्ज होकर हुई है व रकबई 0.0420 हेक्टेयर भूमे को श्री रामकुमार त्यागी, श्री देवेन्द्र त्यागी व महाराज सिंह त्यागी पुत्रगण स्व. श्री अनूप सिंह त्यागी व श्री भाम सिंह त्यागी पुत्र श्री मूलचन्द त्यागी व श्री संजीव त्यागी पुत्र श्री सत्यकुमार त्यागी निवासीगण ग्राम नूरनगर परगना लौनी तहसील व जिला गाजियाबाद से

For S. V. Megastructures Ltd.

Authorised Signatory/Director



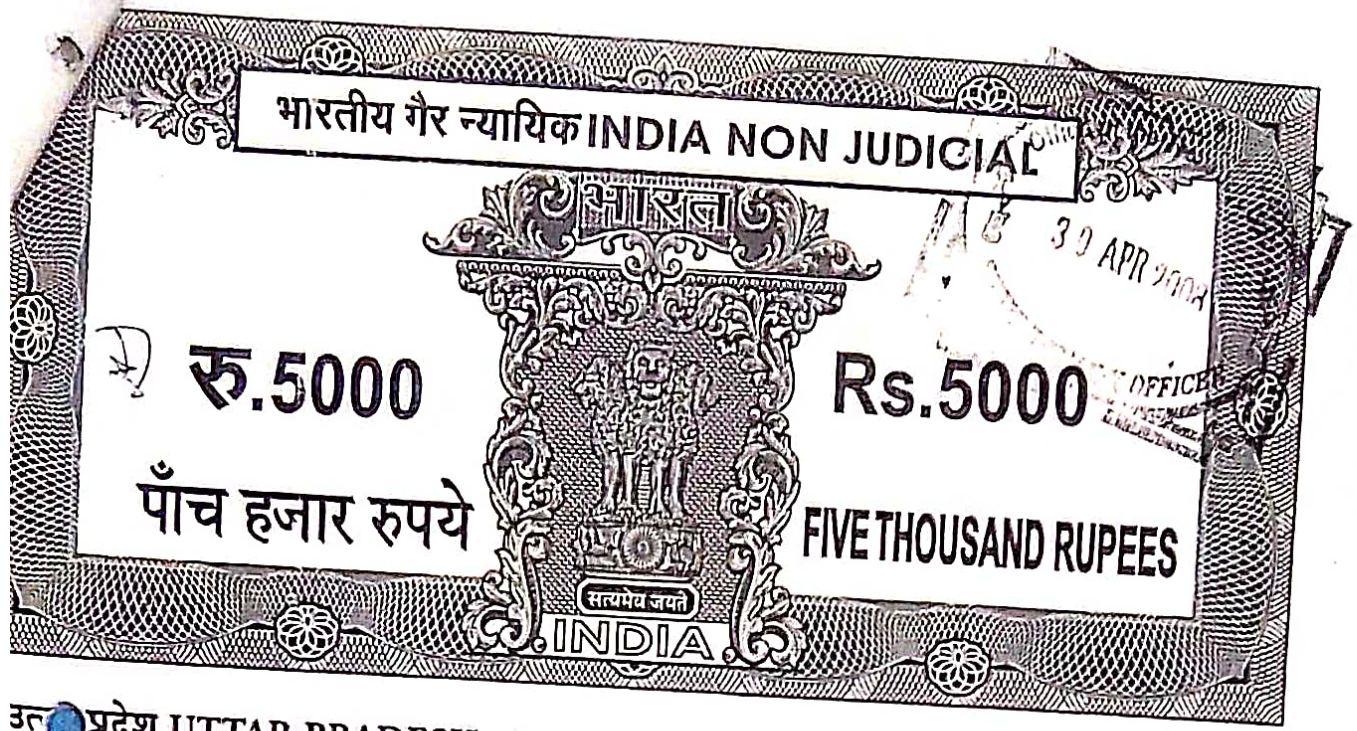
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

E 427544

खरीद की है जिसकी पंजीकृत तहरीरी दिनांक-09.01.2008 ई. को वहा
नम्बर-1 जिल्द 2984 के पृष्ठ 124/137 में नम्बर-193 पर दिनांक-
09.01.2008 ई. को कार्यालय सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद में दर्ज होकर हुई है।
विक्रय भूमि आज दिन तक विक्रेता कम्पनी को ओर से हर प्रकार के बन्धक
भार व सरकारी, देनदारी आदि से सुरक्षित है कहीं अन्य जगह आड, रहन,

Law



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

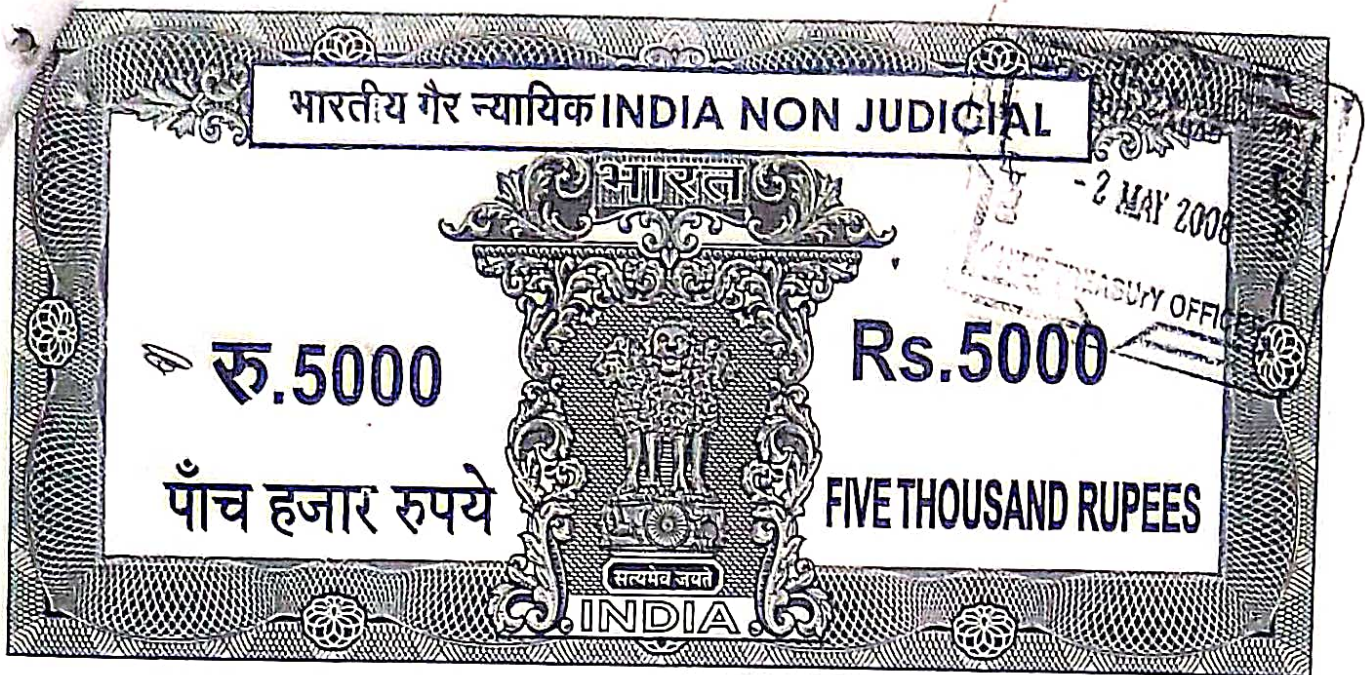
(11)

E 427545

वय, हिंवे महायदावय आदि में ग्रस्त नहीं है। मिलाकियत विक्रय में कोई दोष
व त्रुटि नहीं है। हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है। अतः हम विक्रतागणां
ने अपनी खुशी व रजामन्दी व शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में बिना

For S. V. Megastructures Ltd.

Authorised Signatory/Director



● उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

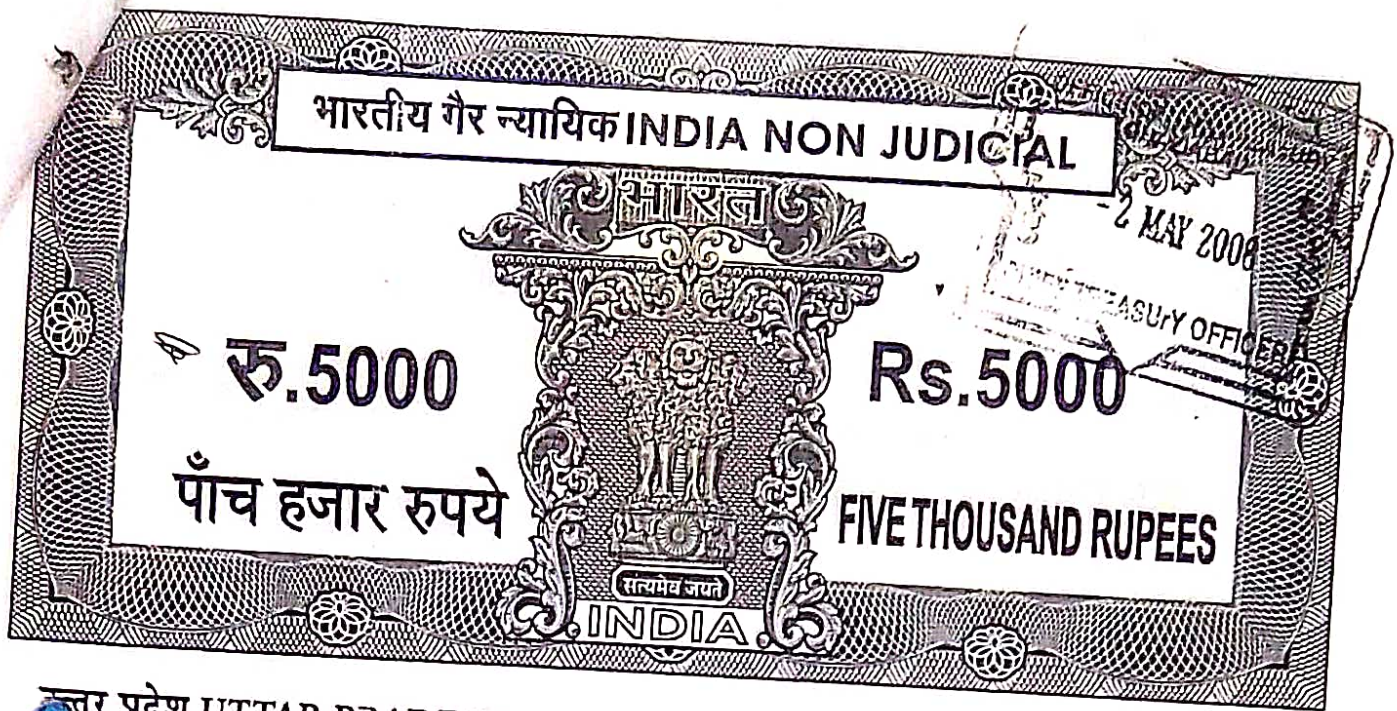
E 430293

(12)

किंसी दबाव व धमकाव के प्रभावेत होत हुए अपनी उपराक्त वाणेत भूम को आज की तारीख में बदले अंकन-15,35,100/-रुपये (पन्द्रह लाख पैंतीस हजार एक सौ रुपये) आधे जिसके अंकन-7,67,550/-रुपये (सात लाख

For S. V. Megastructures Ltd.

Authorised Signatory/Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

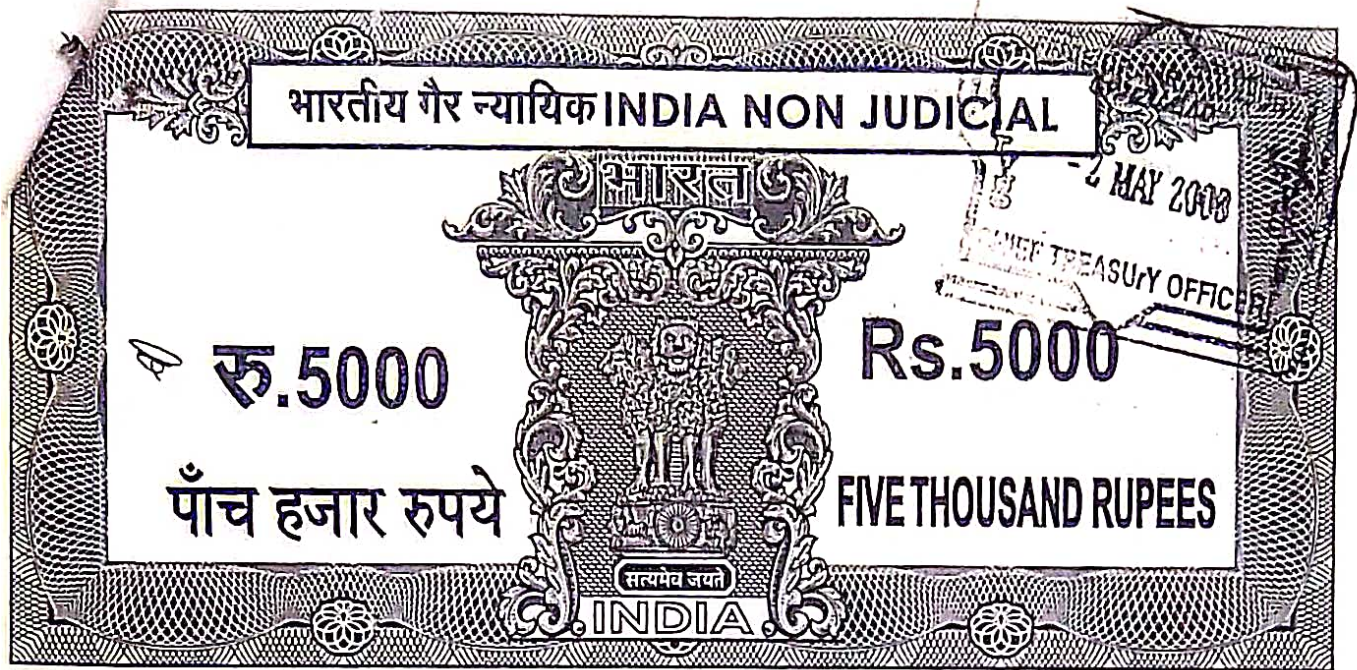
E 430294

(13)

सडसठ हजार पांच सौ पचास रुपये) होते हैं मे हाथ मसस एस. वी. मेगा स्ट्रक्चरस लि. द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी उपरोक्त के बय कतई कर दी और बच दी और कुल रूपया मुझ विक्रेता ने क्रेता कम्पनी से निम्न विवरण

For S. V. Megastructures Ltd.

Authorised Signatory/Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

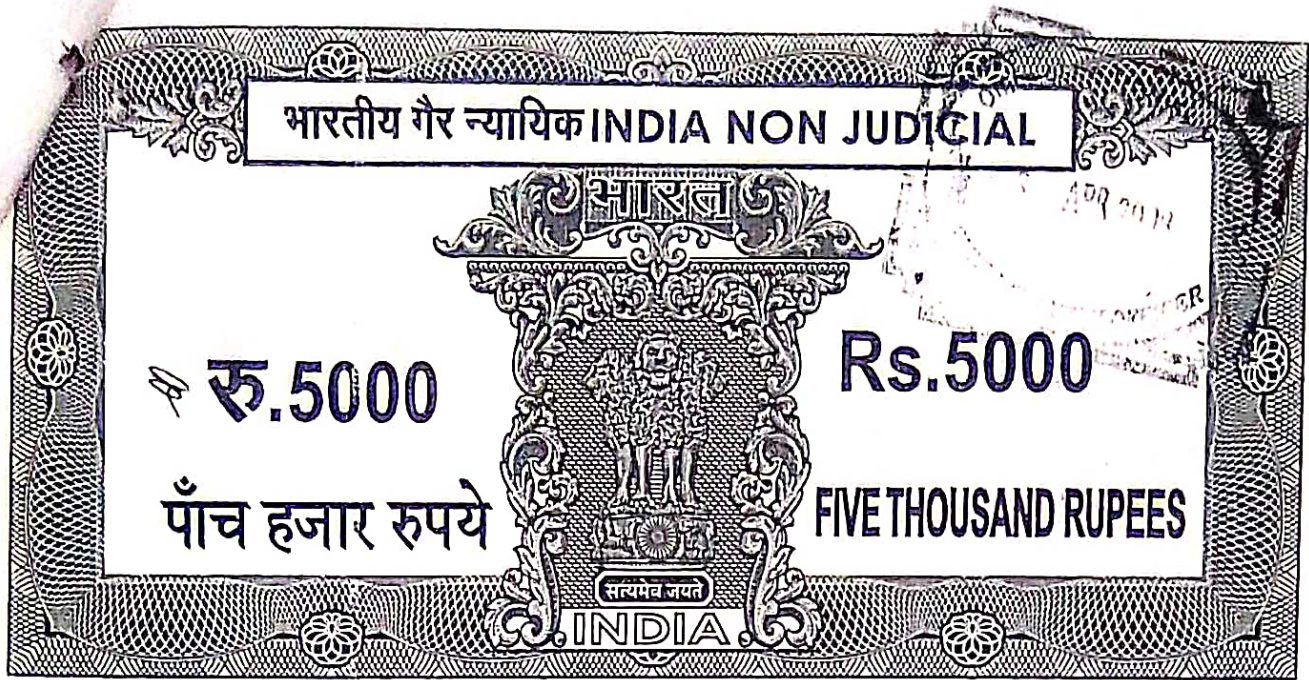
E 430295

(14)

अनुसार प्राप्त कर लिया है। कुछ बाकी नहीं रहा है। कब्जा मौक पर क्रता
कम्पनी का पूण व वास्तविक रूप से करा दिया है जिसकी वो पूणतः मालिक
बन गयी है उनको सवेथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहें

For S. V. Megastructures Ltd.

Law
Authorised Signatory/Dire 11



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 428425

(15)

बहोसियत मालकाना प्रयोग में लावें स्वयं या दूसरों को बेचें, कृपे कर। क्रता
कम्पनी को पूण अधिकार होगा कि वह इस विक्रय पत्र के आधार पर समस्त
राजपत्रों में अपना नाम दर्ज करा लें। अब इकरार यह कि विक्रय भूमि की

For S. V. Megastructures Ltd.

Authorized Signatory/Date



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 190161

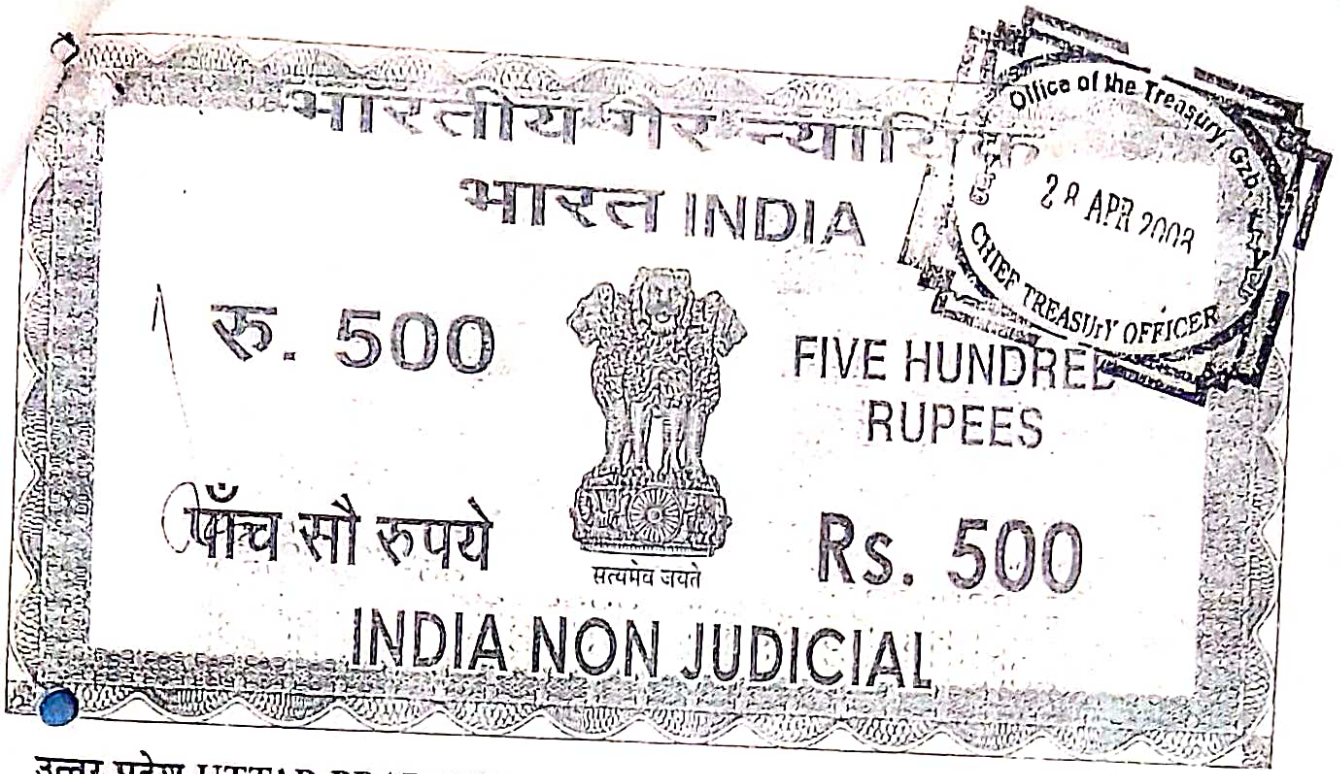
(16)

मिलाकेयत व उसके मूल्य धन तथा किसी अंग से मुझ विक्रेता व वारसान
विक्रेता का कोई सम्बन्ध बाकी नहीं रहा न कभी होगा। यदि आज दिन तक
विक्रय भूमे पर मुझ विक्रेता की ओर से भार निकला और निकला हुआ भार

For S. V. Megastructures Ltd

Authorised Signatory / Director





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

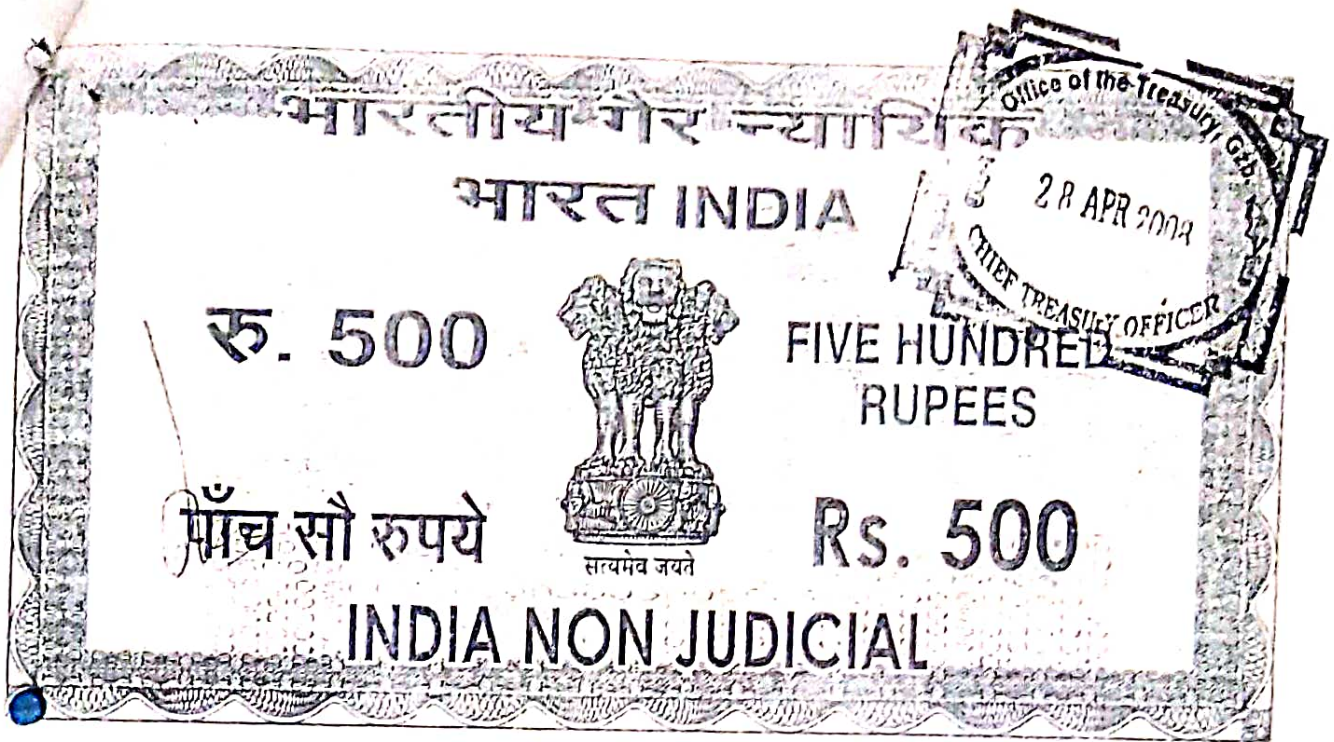
B 190162

(17)

क्रेता कम्पनी को अपने पास से अदा करना पडा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारसान विक्रेता को दावेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमे कुल अथवा उसका कोई अंश क्रंता कम्पनी क कब्जे मालकाना सं

For S. V. Megastructures Ltd.

Authorised Signatory/Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 190163

(18)

निकल जावेगा तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न हान पर प्रथम पक्ष विक्रता पूर्ण जिम्मेदार हागा तथा क्रेता कम्पनी को पूर्ण अधिकार हागा कि अपन पास से अदा किये गये भार को तथा कब्जे से निकल जान वाला भूम को धनराशि

For S. V. Megastructures Ltd.

Authorised Signatory/Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 190164

(19)

को मयं सूद कानूनी न्यायालय द्वारा मयं हजे खचं विक्रता व वारसानां को
चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाह वसूल कर ल। उक्त भूमि कृपे
भूमि है। विक्रता व क्रता अनुसूचित जाति व जन जाति से नही है। विक्रता

For S. V. Megastructures Ltd.

Law
Authorised Signatory/Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 190165

(20)

कम्पनी ने उक्त खसरा नम्बर में अपने भाग का सम्पूर्ण रकबा विक्रय किया है, कोई अंश बाकी नहीं बचा है। विक्रय पत्र का समस्त व्यय क्रेता कम्पनी ने वहन किया है। मुझ रवि मिश्र उपरोक्त को उक्त विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर

For S. V. Megastructures Ltd.

Authorized Signatory/Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 190166

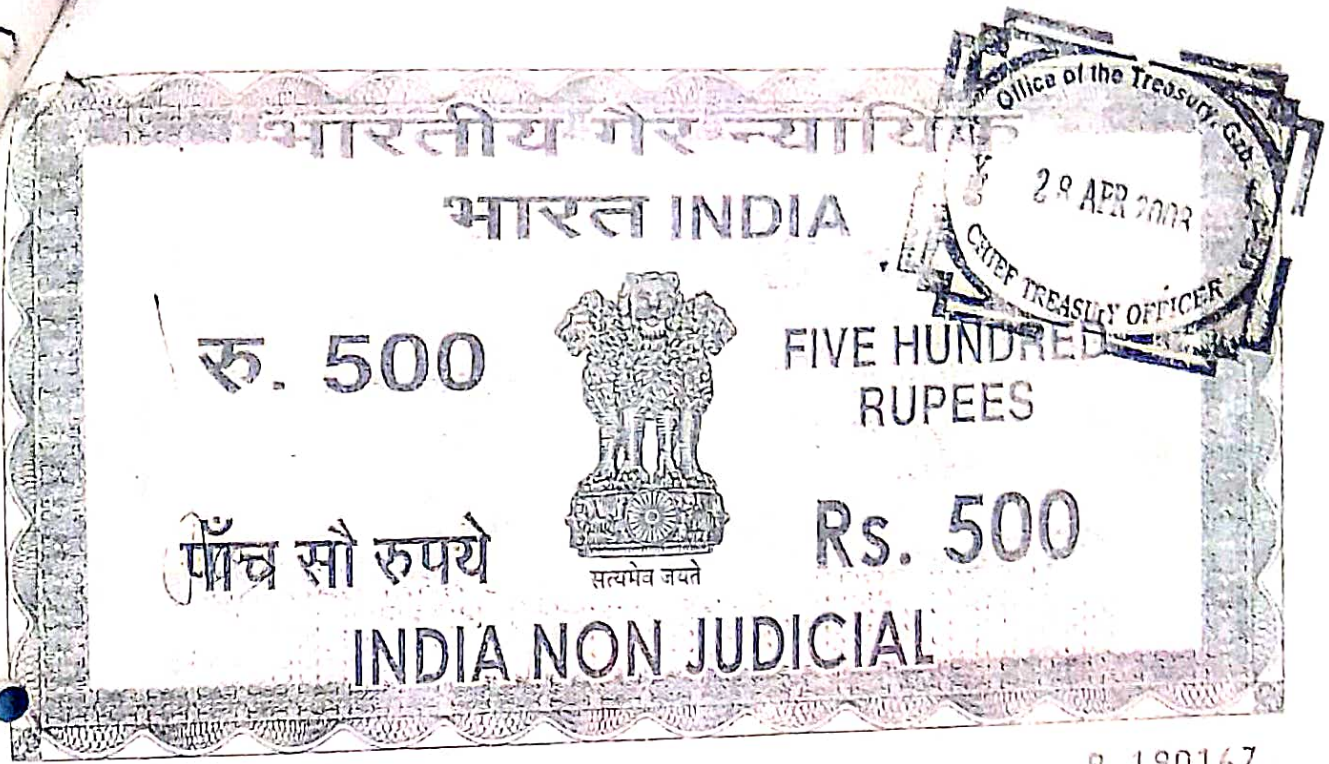
(21)

करने लिये डायरेक्टर की बोर्ड ऑफ मीटिंग के अन्तर्गत दिनांक-30.01.2008
इ. को आधिकृत किया गया है।

For S. V. Megastructures Ltd

Law

Authorized Signatory/Director



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(22)

अतः यह विक्रय पत्र कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

विवरण वसूलयाबी :-

अंकन-15,35,100/- रुपये द्वारा ड्राफ्ट नम्बर-110603 दिनांक-26.04.2008 ई. का जो स्टैण्डर्ड चाटड बैंक की शाखा कानपुर से जारी है प्राप्त कर लिया है।

For S. V. Megastructures Ltd.

Law
Authorized Signatory/Director

901
901

विक्रेता

Registration No 2994

Year: 2008

Book No. 1

0101 राकेश मोहन गर्ग

स्व0 बाल किशन दास

96 नवयुग मार्केट गा0 बाद

ब्यापार

Handwritten signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 190168

(23)

For S. V. Megastructures Ltd.

Law
Signatory/Director

गवाह :-

गवाह 20/05/2008 गाजियाबाद

गवाह 20/05/2008 गाजियाबाद

गवाह:-

गवाह 20/05/2008 गाजियाबाद

गवाह 20/05/2008 गाजियाबाद

दिनांक :- 02.05.2008 मसौदा संजीव कौशिक वैनामा लेखक, चैम्बर नम्बर-20,

तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद।



2/5/2008

1457

घोषणा पत्र नमामतः (दाखिल खारिज)

न्यायालय तहसीलदार, नाजियाबाद

इस घोषणा के माध्यम से ये विषय विराटं प्रमुख को गयी बात संख्या-280

सकल नाम - 790 (22.7.70)

पदवला - लोनी

जिसका नाम नलिमिषा कपूराला 510 दाखिल 22.7.70
510 20.7.70 810. ता. 22.7.70 पदवला लोनी 22.7.70 जमिंदार

1- इसमें 510 दाखिल 22.7.70 510 दाखिल 22.7.70
2- इसमें 510 दाखिल 22.7.70 510 दाखिल 22.7.70
3- इसमें 510 दाखिल 22.7.70 510 दाखिल 22.7.70

सकल नाम - 790 (22.7.70) पदवला - लोनी

राष्ट्र के न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत यह है। अगर किस प्रकार को बात है निम्नानुसार में कोई
बाधित हो तो इस घोषणा पत्र में निम्नलिखित बातें समझें इसका अधिकार का उपयोग करके उपर्युक्त
करके प्रस्तुत करें। निम्नानुसार इसका जिस क्षेत्र में स्थित है निम्नलिखित पत्र समझें
यदि कोई क्षेत्र उपर्युक्त क्षेत्रों। प्रधान बात इसका तथा इसका अधिकार को अगर कोई
बाधित हो तो निम्नलिखित पत्र समझें। इस घोषणा पत्र का सूचना देना, दिखाना प्रचार
पत्र समझें प्रचार अधिकार को भी को बाधे। विवरण पृष्ठ - 280/0.131

3-याम घान / सचिव टाउन एरिया

50 बिक्री का

50 बिक्री का

50 बिक्री का

तहसीलदार
नाजियाबाद